[2021] 1 एस. सी. आर 282

हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एचएआरएसएसी) और एक अन्य
बनाम

मेसर्स पैन इंडिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।

(सिविल अपील संख्या 131 वर्ष 2021)

20 जनवरी, 2021

[एल. नागेश्वर राव, इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी, न्यायमूर्तिगण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 12 (5) आर/डब्ल्यू सातवीं अनुसूची-प्रधान सचिव, सरकार की नियुक्ति

हरियाणा सरकार की एक नोडल एजेंसी, अपीलकर्ता-कंपनी (एच. ए. आर. एस. ए. सी.) के नामित मध्यस्थ के रूप में हरियाणा-की वैधता-आयोजितः अधिनियम की धारा 12 (5) (2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित) में प्रावधान है कि इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति

एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य, क्योंकि उसका अपीलार्थी पर एक नियंत्रक प्रभाव होगा-कंपनी एक नोडल होने के नाते राज्य की एजेंसी-यू/की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम का s.29A (6)

(यथा संशोधित), उच्चतम न्यायालय का एक पूर्व न्यायाधीश, जिसे वैकल्पिक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इस मामले में कार्यवाही का संचालन करेगा। मंच से निरंतरता आई, और 6 महीने के भीतर पुरस्कार पास किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 131

2021 .

2020 (ओ एंड एम) के सी. आर. संख्या 3 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 24.08.2020 के निर्णय और आदेश से।

हेमंत गुप्ता, ए. ए. जी., आलोक शर्मा, सुश्री पायल गुप्ता, सुश्री सुनक्षी गुप्ता, तुषार शर्मा संजय कुमार विसेन, कौशिक लाइक, अंगद मेहता

अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

282 हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एच. ए. आर. एस. ए. सी.) v. मेसर्स पैन इंडिया कंसल्टेंट्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

इंद् मल्होत्रा, जे.

1. अपीलार्थी संख्या 1/एच. ए. आर. एस. ए. सी., विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली ("जी. आई. एस".) अनुप्रयोग और रिमोट सेंसिंग के लिए नोडल एजेंसी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग ने एच. ए. आर. एस. ए. सी. को हरियाणा राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया। एच. ए. आर. एस. ए. सी. ने सितंबर 2010 में भूमि अभिलेख के आधुनिकीकरण (कैडस्ट्रल मानचित्रों के डिजिटलीकरण, अभिलेखों के साथ एकीकरण और पुराने राजस्व दस्तावेजों के प्रबंधन सहित) के लिए योग्य विक्रेताओं से प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रित किया। एचएआरएसएसी वीडियो पत्र

दिनांक 28.02.2011 ने प्रतिवादी-पैन इंडिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट को अनुबंध प्रदान किया। लिमिटेड, और आवंटन पत्र में निर्दिष्ट कार्यों के लिए तीन अन्य विक्रेता। इसके अनुसरण में, पक्षों के बीच सेवा स्तर के समझौतों को निष्पादित किया गया। वर्तमान मामले में दिनांकित 29.03.2011 सेवा स्तर समझौते के खंड 6.11 में एक मध्यस्थता खंड है, जो निम्नानुसार है:

" 6.11 विवाद का समाधान

एच. ए. आर. एस. ए. सी., हरियाणा और विक्रेता अपने बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी असहमति या विवाद को सीधे अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

अनुबंध के साथ संबंध। यदि इस तरह की अनौपचारिक बातचीत शुरू होने के तीस दिनों के बाद, एच. ए. आर. एस. ए. सी., हरियाणा और विक्रेता एक अनुबंध विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में असमर्थ हैं, तो कोई भी पक्ष यह माँग कर सकता है कि विवाद

औपचारिक मध्यस्थता द्वारा समाधान के लिए संदर्भित। अनुबंध के तहत और उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, विवाद या मतभेदों को दो मध्यस्थों को भेजा जाएगा-एक मध्यस्थ जिसे एच. ए. आर. एस. ए. सी., हरियाणा द्वारा नामित किया जाएगा और अन्य दो विक्रेता द्वारा नामित किए जाएंगे। उक्त मध्यस्थों के सहमत नहीं होने के मामले में, संदर्भ के साथ आगे बढ़ने से पहले मामले को मध्यस्थों द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किए जाने वाले अंपायर के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थों का पुरस्कार, और उनके सहमत नहीं होने की स्थिति में, पुरस्कार [2021] 1 एस. सी. आर.

उनके द्वारा नियुक्त अंपायर अंतिम होगा और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा और मध्यस्थता का स्थान और अधिकार क्षेत्र हरियाणा राज्य में होगा।

बैंक गारंटी, विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से या पक्षों द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा लंबित समाधान।

4. एच. ए. आर. एस. ए. सी. ने सेवा स्तर समझौते में निहित मध्यस्थता खंड को लागू किया और श्री को नियुक्त किया। अनुराग रस्तोगी, आईएएस, प्राचार्य

हरियाणा सरकार के सचिव उनके नामित मध्यस्थ के रूप में।

प्रत्यर्थी ने न्यायमूर्ति राजीव भल्ला (सेवानिवृत्त) को 14.09.2016 पर अपना नामित मध्यस्थ नियुक्त किया।

14.09.2016 पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया।

5. प्रत्यर्थी/अखिल भारतीय सलाहकारों ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 10 (1) के तहत पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। न्यायाधिकरण ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से इस स्तर पर तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और दोनों मध्यस्थों के बीच असहमति के मामले में तीसरे मध्यस्थ को नामित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा।

6. 03.08.2018 पर, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अपनी 28वीं बैठक में, कार्यवाही में दर्ज किया कि दलीलें सुनी गईं, और मामला था

पुरस्कार पास करने के लिए आरक्षित।

7. अपीलार्थी ने माध्यस्थम न्यायाधिकरण को दिनांकित 07.01.2019 पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि मध्यस्थता कार्यवाही की गई थी

हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एच. ए. आर. एस. ए. सी.) v पर पहली सुनवाई की तारीख से डेढ़ साल से अधिक समय से लंबित है।

मेसर्स पैन इंडिया कंसल्टेंट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, न्यायमूर्ति]

07.11.2016 . उस दिनांकित 25.01.2018 आदेश के अनुसार, न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। चूंकि विस्तारित अवधि के भीतर भी कार्यवाही पूरी नहीं की गई थी, इसलिए 15.05.2018 पर फिर से 3 महीने की अवधि के लिए समय बढ़ाया गया था। विस्तारित

अवधि भी 15.08.2018 पर समाप्त हो गई। तब भी न्यायाधिकरण ने आज तक पुरस्कार की घोषणा नहीं की थी। चूंकि, मध्यस्थता कार्यवाही मध्यस्थता द्वारा निर्धारित 1 वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई थी और

सुलह अधिनियम, 1996 या 6 महीने की विस्तारित अवधि, मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अधिदेश समाप्त हो जाएगा।

8. 08.02.2019 पर, मध्यस्थों में से एक, न्यायमूर्ति राजीव भल्ला (सेवानिवृत्त) ने प्रतिवादी को संबोधित एक पत्र में कहा कि

दलीलें पूरी की गईं, पुरस्कार तैयार करने की प्रक्रिया में था, जब निदेशक भूमि अभिलेख, हरियाणा, पंचकूला से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि न्यायाधिकरण का अधिदेश समाप्त कर दिया गया है। हालाँकि, इस पत्र में न्यायाधिकरण के शुल्क के संबंध में प्रत्यर्थियों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का संदर्भ नहीं दिया गया था। मध्यस्थ द्वारा यह कहा गया था कि: न्यायाधिकरण तुरंत फैसला सुनाने के लिए तैयार है।

9. प्रत्यर्थी/ठेकेदार ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29ए (4) के तहत एक आवेदन दायर किया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष 2019 का मामला संख्या 431, जिसमें यह कहा गया था कि पुरस्कार सुनाने के लिए तैयार है और न्यायाधिकरण को पूरी फीस का भुगतान कर दिया गया है। यह तर्क दिया गया था कि निदेशक भूमि अभिलेख ने शुल्क के अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया था, लेकिन मामले में देरी कर रहे थे, और गलती से दावा किया था कि न्यायाधिकरण का अधिदेश समाप्त हो गया था। यह प्रार्थना की गई कि मध्यस्थता पुरस्कार पारित करने की अवधि बढ़ाई जाए।

10. अपीलार्थी ने यहाँ आवेदन का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि धारा 29ए (4) के तहत आवेदन को खारिज कर दिया जाए क्योंकि विस्तार देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बनाया गया था।

11. जिला न्यायाधीश ने अपने दिनांक 08.11.2019 के आदेश के माध्यम से मध्यस्थता को समाप्त करने के लिए न्यायाधिकरण को 3 महीने का समय दिया।

कार्यवाही करें, और पुरस्कार का उच्चारण करें। 12. अपीलार्थी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत सिविल संशोधन याचिका दायर की।

अतिरिक्त जिला [2021] 1 एस. सी. आर. द्वारा पारित दिनांकित 08.11.2019 आदेश को अलग करते हुए।

न्यायाधीश, जिसके द्वारा पुरस्कार पारित करने के लिए समय का विस्तार दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि समय के विस्तार पर दोनों पक्षों द्वारा 15.08.2018 तक पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। हालाँकि, न्यायाधिकरण इस विस्तारित अवधि के भीतर भी पुरस्कार देने में विफल रहा, और यह नहीं दिखाया ऐसा करने का कोई भी झुकाव 07.01.2019 पर भी, जब न्यायाधिकरण के अधिदेश को समाप्त करने वाला पत्र भेजा गया था। न्यायाधिकरण निर्णय देने में विफल रहा

न्यायाधिकरण के गठन की तारीख से 28 महीने से अधिक की अवधि में पुरस्कार।

13. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 31.07.2020 दिनांकित एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें यह कहा गया था कि इस अवधि के बाद से

जिला न्यायालय द्वारा दिए गए 3 महीने पहले ही बीत चुके थे, दोनों पक्षों को मौजूदा महामारी के कारण 3 महीने की अवधि के अनुदान के लिए निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। न्यायाधिकरण या तो वस्तुतः या भौतिक रूप से कार्यवाही का संचालन करेगा।

14. याचिका की सुनवाई 24.08.2020 पर हुई, जब हरियाणा के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने समय बढ़ाने का विरोध किया। उच्च न्यायालय ने वर्तमान महामारी के आलोक में, पक्षों को 3 महीने के भीतर अपनी दलीलें समाप्त करने में सक्षम बनाने के लिए 4 महीने का विस्तार दिया, और न्यायाधिकरण को पुरस्कार पारित करने के लिए 1 महीने की अवधि दी।

15. उक्त आदेश से व्यथित, एच. ए. आर. एस. ए. सी. ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हमने विद्वान अतिरिक्त अधिवक्ता को सुना है

एच. ए. आर. एस. ए. सी. की ओर से उपस्थित जनरल और प्रतिवादी-ठेकेदार की ओर से श्री अंगद मेहता।

16. हम पाते हैं कि भले ही 4 साल से अधिक की अवधि बीत चुकी हो

आई. डी. 2 पर न्यायाधिकरण के गठन के बाद से, अब तक पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है, भले ही न्यायाधिकरण ने दो मौकों पर यानी आई. डी. 3 अपनी 28 वीं बैठक में की थी, और उसके बाद मध्यस्थों द्वारा संबोधित आई. डी. 1 के पत्र में दर्ज किया गया था कि न्यायाधिकरण तुरंत पुरस्कार देने के लिए तैयार था।

17. हमारा विचार है कि हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव की नामित मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति एच. ए. आर. एस. ए. सी. जो हरियाणा सरकार की एक नोडल एजेंसी है,

सातवीं अनुसूची के साथ पठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12 (5) के तहत अमान्य होगा।

मध्यस्थता हरियाणा अंतरिक्ष आवेदन केंद्र (एच. ए. आर. एस. ए. सी.) की धारा 12 (5) v. मेसर्स पैन इंडिया कंसल्टेंट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

अधिनियम, 1996 (2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित) में प्रावधान है कि इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका पक्ष या वकील के साथ संबंध सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के भीतर आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।

अधिनियम की सातवीं अनुसूची की मद 5 निम्नानुसार है:

" पक्ष या वकील के साथ मध्यस्थ का संबंध

5. मध्यस्थ एक प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधन का हिस्सा होता है। या एक समान नियंत्रण प्रभाव है, किसी एक के सहयोगी में पक्षकार यदि संबद्ध विवादग्रस्त मामलों में सीधे शामिल है मध्यस्थता में "।

(जोर दिया गया)

सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 (5) अनिवार्य है और

अधिनियम का गैर-अपमानजनक प्रावधान। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हरियाणा सरकार का प्रधान सचिव मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा, क्योंकि राज्य की नोडल एजेंसी होने के नाते अपीलकर्ता कंपनी पर उसका नियंत्रण प्रभाव होगा।

18. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील

मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति द्वारा मौजूदा न्यायाधिकरण के प्रतिस्थापन के लिए सहमति दी है।

मध्यस्थता की धारा 29ए (6) के तहत हमारी शक्ति का प्रयोग करते हुए

और सुलह अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित), हम एतद्द्वारा इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ (सेवानिवृत्त) को वैकल्पिक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं, जो इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही का संचालन करेंगे और पुरस्कार पारित करेंगे। मध्यस्थ पक्षकारों को अंतिम दलीलों को संबोधित करने का निर्देश दे सकता है और उसे मामले के पूरे रिकॉर्ड में ले जा सकता है।

मामला।

एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति घोषणाओं के अधीन है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12 के तहत स्वतंत्रता और निष्पक्षता और 6 महीने की अवधि के भीतर मध्यस्थता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने की क्षमता के संबंध में किया जा रहा है।

मध्यस्थ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की चौथी अनुसूची के अनुसार शुल्क लेगा। हम दोनों पक्षों को एकमात्र मध्यस्थ को देय शुल्क को समान रूप से साझा करने का निर्देश देते हैं। द.कार्यवाही या तो वस्तुतः या मध्यस्थता के स्थान पर आयोजित की जाएगी।

हरियाणा राज्य में।

तदनुसार मामले का निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल

मामलों का निपटारा किया गया।